

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 21, गुरुवार, श॥के 1947- मार्च 12, 2026 Phalguna 21, Thursday, Saka 1947- March 12, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

(मत्स्य विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 21, 2026

जी.एस.आर.143 :-यतः, राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए प्रारूप नियम, उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से, उस तारीख जिसको राजस्थान राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 23.12.2025 को उपलब्ध करा दी गयी थीं, से 21 दिवस के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं.16) की धारा 5 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उप-खण्ड (झ) दिनांक 23.12.2025 को प्रकाशित किये गये थे;

और यतः, राज्य सरकार को कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अब, अतः, राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं.16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मत्स्य (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 5 का संशोधन.-** राजस्थान मत्स्य नियम, 1958, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 का विद्यमान उप-नियम (5) हटाया जायेगा।

3. **नियम 5क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 5क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“5क. जनजाति मछुआरा सहकारी सोसाइटी को जलाशय का आबंटन.- उन क्षेत्रों को छोड़कर, जो नगरपालिका द्वारा प्रशासित होते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में अवस्थित जलाशय, नियम 5 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित आरक्षित कीमत पर रजिस्ट्रीकृत जनजाति मछुआरा सहकारी सोसाइटी को आबंटित किये जा सकेंगे। ख प्रवर्ग के जलाशय का निदेशक, मत्स्य द्वारा, और ग तथा घ प्रवर्ग के जलाशय का संबंधित जिले के मत्स्य अधिकारी द्वारा, आबंटन किया जायेगा।”

4. **नियम 6 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पंचायती राज संस्थाओं को अन्तरित जलाशयों के मामले में, जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, पंचायत समिति का विकास अधिकारी", जहां कहीं भी आयी हो, हटायी जायेगी।

[संख्या 1 (8) मत्स्य/विकास/2025-26]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. समित शर्मा,
शासन सचिव।

**FISHERIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
JAIPUR, January 21, 2026**

G.S.R.143 .-Whereas, the draft rules further to amend the Rajasthan Fisheries Rules, 1958, was published in the Rajasthan Gazette Extraordinary, Part 4 (ga) up-khand(I) dated 23.12.2025 as required by sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (Act No. XVI of 1953), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of 21 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the people on 23.12.2025;

And whereas, no objections and suggestions have been received by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (Act No. XVI of 1953), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Fisheries Rules 1958, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Fisheries (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 5.- The existing sub-rule (5) of rule 5 of the Rajasthan Fisheries Rules 1958, hereinafter referred to as the said rules, shall be deleted.

3. Substitution of rule 5A.-The existing rule 5A of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"5A. Allotment of water to the Tribal Fisherman Co-operative Society.-Waters, situated in Scheduled areas of the Rajasthan as referred in clause (1) of Article 244 of the Constitution of India except those areas which are administered by a municipality, may be allotted to the Registered Tribal Fisherman Co-operative Society on reserve price determined under clause (b) of sub-rule (1) of rule 5. Allotment of the B category water shall be made by the Director, Fisheries and C and D category water shall be made by the Fishery Officer of district concerned."

4. Amendment of rule 6.- In rule 6 of the said rules, the existing expression "and in case of waters transferred to Panchayati Raj Institutions, Chief Executive Officer of Zila

Parishad or Vikas Adhikari of Panchayat Samiti as the case may be," wherever occurring, shall be deleted.

[संख्या 1 (8) मत्स्य/विकास/2025-26]

By order of the Governor,

Dr. Samit Sharma,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.